

विज्ञापन सं.डी.एस._5-24011/2/2019-अनुभाग_5-अं.वि. (2) दिनांक 17/07/2021

भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूर – 560 094

विषय: मेसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड में तत्काल आमेलन आधार अन्यथा प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

सी.पी.एस.ई. का नाम	:	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
पद का नाम	:	निदेशक (वित्त)
रिक्ति का दिनांक	:	06.02.2020
सी.पी.एस.ई. की अनुसूची	:	अनुसूची 'क'
पद का वेतनमान	:	रु. 180000-340000 (आई.डी.ए.)

I. कंपनी प्रोफाइल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के संगठित यूनितों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान तथा विकास कार्यों के वाणिज्यिक दोहन के लिए भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) के तौर पर निर्गमित किया गया था। एनसिल का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के उच्च उद्योगिकी उत्पादन तथा उत्पादन आधार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। अपने व्यापारिक क्रिया-कलापों के भाग के रूप में, एनसिल इसरो से प्राप्त अनुज्ञप्ति के तहत भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी के माध्यम से लघु उपग्रह प्रमोचन रॉकेट (एस.एस.एल.वी.) का उत्पादन करेगा तथा भारतीय उद्योग के माध्यम से पी.एस.एल.वी. के उत्पादन का कार्य भी करेगा। एनसिल अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अनुसूची 'क' सी.पी.एस.ई. है।

इसके पंजीकृत तथा कार्पोरेट कार्यालय बेंगलूर, कर्नाटक में स्थित है।

31 मार्च 2020 तक कंपनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः रु. 100 करोड़ तथा रु. 10 करोड़ है।

31.03.2020 तक कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है।

II. कार्य विवरण तथा जिम्मेदारियां

निदेशक (वित्त) कंपनी के निदेशक बोर्ड के एक सदस्य हैं तथा वे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा निदेशक बोर्ड को कंपनी के कार्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं। उन पर संगठन के वित्त तथा लेखा से संबंधित कार्यों का संपूर्ण दायित्व होता है तथा कार्पोरेट मानदंडों तथा वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में वित्तीय योजना, बजट संबंधी कार्यों, लागत संबंधी, वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय विवरण की तैयारी सहित नीतियों को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है कंपनी के वित्तीय तथा लेखाकरण मामलों पर नियंत्रण रखना तथा संसाधनों के इष्टतमी उपयोग को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के कार्यों का संचालन करना। वित्त तथा लेखा से संबंधित सभी मामलों में वे कंपनी के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

III. अर्हता

1. आयु: रिक्ति की तिथि को (डी.ओ.बी.)

अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष			
आंतरिक		अन्य	
न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
45	अधिवर्षिता तिथि के संबंध में रिक्ति की तिथि से 2 वर्ष की सेवा शेष हो।	45	अधिवर्षिता तिथि के संबंध में रिक्ति की तिथि से 3 वर्ष की सेवा शेष हो।

2. रोजगार की स्थिति:

आवेदन तिथि को तथा साक्षात्कार तिथि को आवेदक निम्नलिखित में से एक में नियमित रूप से कार्यरत होना चाहिए न कि संविदा/ तदर्थ प्रकार की सेवा में:-

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में (सी.पी.एस.ई.) (सी.पी.एस.ई. के बोर्ड में पूर्ण कालिक प्रकार्यात्मक निदेशक सहित);

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघ की सशस्त्र सेना सहित केंद्र सरकार में कार्यरत;

(ग) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस.पी.एस.ई.), जहां का वार्षिक कारोबार **1500 करोड़ रुपए* या उससे अधिक** हो;

(घ) निजी क्षेत्र की कंपनी में जहां वार्षिक कारोबार **1500 करोड़ रुपए* या उससे अधिक** हो। **सूचीबद्ध कंपनियों के आवेदकों को बरीयता दी जाएगी;**

(* अनुमोदित सीमाओं को लागू करने हेतु जिस कैलेंडर वर्ष में पद हेतु विज्ञापन दिया गया है, उससे पहले के तीन वित्त वर्षों की लेखा परीक्षा की गई और वार्षिक कारोबार पर विचार किया जाएगा)

3. योग्यता:

(i) आवेदक चार्टरित लेखाकार या लागत लेखाकार हो या उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ पूर्ण कालिक तौर पर एम.बी.ए./ पी.जी.डी.एम. स्नातक किया हो।

(ii) उचित स्तर में कार्यरत संगठित समूह 'क' लेखा सेवाओं के अधिकारियों को [जैसे, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा; भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय पी. एवं टी. लेखा तथा वित्त सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा] इन शैक्षणिक योग्यताओं से छूट दी जाती है।

(iii) आगे, केंद्र सरकार / संघ की सशस्त्र सेनाओं / अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को निम्नानुसार इन शैक्षणिक योग्यताओं से छूट दी जाती है - (i) ऊपर बताए अनुसार अभ्यर्थी के पास नीचे पैरा 4 (iii) में उल्लेखित 'आवश्यक अनुभव' होना चाहिए।

संगठित समूह 'क' लेखा सेवाएं/ केंद्र सरकार/संघ की सशस्त्र सेनाओं/अखिल भारतीय सेवाओं के अभ्यर्थियों के विषय में, चार्टरित लेखाकार/लागत लेखाकार/एम.बी.ए./पी.जी.डी.एम. वांछित शैक्षणिक योग्यता होगी।

4. अनुभव:

(i) आवेदक के पास वित्त तथा ख्याति प्राप्त संगठन में कार्पोरेट वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा के विभिन्न पहलुओं में 15 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए।

(ii) संगठित समूह 'क' लेखा सेवाओं के आवेदकों के पास कार्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/कार्पोरेट लेखा के क्षेत्र में गत दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 5 वर्षों का कुल अनुभव होना चाहिए।

(iii) केंद्र सरकार/संघ की सशस्त्र सेनाओं/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के विषय में 'संबंधित अनुभव' में कार्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/कार्पोरेट लेखा के क्षेत्र में गत दस वर्षों में वरिष्ठ स्तर पर न्यूनतम सात वर्षों का कुल अनुभव शामिल होगा।

5. वेतनमान/रैंक/स्तर:

पात्र वेतनमान/रैंक/स्तर में आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि एक वर्ष की होगी, तथा अन्य के लिए यह अवधि रिक्ति तिथि से दो वर्ष होगी।

(क) सी.पी.एस.ई. के आवेदक को निम्नलिखित या अधिक वेतनमान में कार्यरत होना चाहिए:

पात्र वेतनमान

- (i) रु. 7250-8250 (आई.डी.ए.) पूर्व 01/01/1992
- (ii) रु. 9500-11500 (आई.डी.ए.) पश्च 01/01/1992
- (iii) रु. 20500-26500 (आई.डी.ए.) पश्च 01/01/1997
- (iv) रु. 51300-73000 (आई.डी.ए.) पश्च 01/01/2007
- (v) रु. 120000-280000 (आई.डी.ए.) पश्च 01/01/2017
- (vi) रु. 18400-22400 (सी.डी.ए.) पूर्व संशोधित
- (vii) रु. 37400-67000 + ग्रे.वे. 10000 (सी.डी.ए.)
- (viii) रु. 144200-218200 (स्तर 14) सी.डी.ए.

(ख) (i) केंद्र सरकार/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के पद पर होना चाहिए या उसी के समतुल्य वेतनमान या उससे अधिक पर कार्यरत होना चाहिए।

(ii) संघ की सशस्त्र सेनाओं के आवेदक को सेवा में मेजर जनरल के स्तर के पद पर नौसेना/वायुसेना में उसी के समतुल्य रैंक, या उससे ऊपरी पद पर कार्यरत होना चाहिए।

(ग) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/निजी क्षेत्र के आवेदकों को बोर्ड स्तर के पद पर या बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के स्तर के पद पर कार्यरत होना चाहिए।

6. केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए तत्काल आमेलन की शर्त

संघ की सशस्त्र सेनाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित केंद्र सरकार के अधिकारी तत्काल आमेलन आधार पर ही पात्रता हेतु विचारार्थ होंगे।

IV. नियुक्ति की अवधि

नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या अधिवर्षिता तिथि तक या अगले आदेश के आने तक, जो भी पहले हो, उस अवधि के लिए होगी।

V. आवेदनों की प्रस्तुति

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

1. ऑनलाइन प्रस्तुति के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट (विधिवत हस्ताक्षरित) निम्नानुसार अंतरिक्ष विभाग को अग्रेषित करना चाहिए:

- क) संघ की सशस्त्र सेनाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारी : संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से;
- ख) सी.पी.एस.ई. में कार्यरत सी.एम.डी./एम.डी./प्रकार्यात्मक निदेशक : संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से;
- ग) सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर से नीचे कार्यरत: संबंधित सी.पी.एस.ई. के माध्यम से;
- घ) राज्य पी.एस.ई. में कार्यरत सी.एम.डी./एम.डी./प्रकार्यात्मक निदेशक: संबंधित प्रशासनिक सचिव और राज्य सरकार के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, यदि कोई हो, के माध्यम से;
- ङ) एस.पी.एस.ई. बोर्ड स्तर के नीचे: संबंधित एस.पी.एस.ई. के माध्यम से;
- च) निजी क्षेत्र: सीधे अंतरिक्ष विभाग को।

2. निजी क्षेत्र के आवेदक आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करें:

- क) जिस कैलेंडर वर्ष में पद का विज्ञापन हुआ है, उसके ठीक पूर्व के 3 वित्तीय वर्षों की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (कृपया यू.आर.एल. उपलब्ध कराएं या प्रतियाँ संलग्न करें);
- ख) क्या कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं; यदि हाँ, तो दस्तावेजी प्रमाण (कृपया यू.आर.एल. उपलब्ध कराएं या प्रतियाँ संलग्न करें);

- ग) बोर्ड स्तर पर या बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के स्तर के पद पर कार्य का प्रमाण;
- घ) आयु और योग्यताओं को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ;
- ङ) पूर्व में की गई प्रासंगिक नौकरियों का विवरण।

VI. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचनबंध

आवेदन के एक भाग के रूप में आवेदक को एक वचनबंध देना होता है कि चयनित होने पर वह कार्यभार ग्रहण करेगा/करेगी। यदि आवेदक ऐसा वचनबंध नहीं देता है, तो आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

1. केंद्र सरकार/संघ की सशस्त्र सेनाओं/अखिल भारतीय सेवाओं के अभ्यर्थियों के लिए

- क) नियुक्ति तत्काल आमेलन आधार पर होगी।
- ख) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो उसे किसी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद हेतु साक्षात्कार तिथि से दो वर्षों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- ग) आगे, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो उसे नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष तक के लिए किसी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

2. सी.पी.एस.ई. के अभ्यर्थियों के लिए

- क) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो जिस पद पर वह कार्यरत है, उसे छोड़कर उसे किसी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद हेतु साक्षात्कार तिथि से दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- ख) आगे, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो जिस पद पर वह कार्यरत है, उसे छोड़कर उसे किसी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद हेतु नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

3. एस.पी.एस.ई./निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

- क) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो उसे किसी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद हेतु साक्षात्कार तिथि से दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- ख) आगे, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने से अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो उसे किसी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद हेतु नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

4. उपरोक्त मामलों में छूट या अन्य किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

VII. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा (<https://www.isro.gov.in/careers-new>)। आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 27/08/2021 है। आवेदन का प्रिंट आउट (उपरोक्त पैरा V में इंगित अनुसार) उप सचिव (पी. एवं पी.एस.), अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560094, कर्नाटक (दूरभाष: 080 2217 2369 / ई-मेल: section-6@isro.gov.in) को अग्रेषित करना चाहिए। अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंतरिक्ष विभाग के पास साक्षात्कार हेतु आवेदकों को शार्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित है।

इस विभाग से सभी पत्राचार केवल उप सचिव (पी. एवं पी.एस.), अंतरिक्ष विभाग को ही संबोधित किये जाने चाहिए।
